

## 4 फीडरों का पृथक्करण

फीडर पृथक्करण, समर्पित फीडर के द्वारा कृषि उपभोक्ताओं और गैर कृषि उपभोक्ताओं (घरेलू और वाणिज्यिक) को पृथक् रूप से विद्युत आपूर्ति करना इंगित करता है। यह व्यवस्था वितरण कंपनी को प्रभावी डिमांड साइड मैनेजमेंट (डीएसएम) हेतु कृषि उपभोक्ताओं को आवश्यकतानुसार बिजली आपूर्ति को विनियमित करने में सहायता करता है। फीडर पृथक्करण, कृषि भार को ऑफ-पीक ऑवर में स्थानांतरित करके लोड वक्र को स्थिर कर पीक लोड प्रबंधन को आसान करता है। फीडर पृथक्करण का मुख्य उद्देश्य, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उपभोक्ताओं को विनियमित विद्युत आपूर्ति एवं गैर कृषि उपभोक्ताओं को निरंतर विद्युत आपूर्ति करना है। भारत सरकार ने फीडर पृथक्करण हेतु ₹ 2,199.49 करोड़ स्वीकृत किया था।

### 4.1 फीडर पृथक्करण की आवश्यकताओं का मूल्यांकन नहीं होना

परियोजना निर्माण के पहले चरण में, यूटिलिटी (कंपनी) को कृषि फीडरों को अलग करने की आवश्यकता की पहचान करनी थी। यह देखा गया कि जेबीवीएनएल ने मिश्रित भार वाले फीडर, जहां फीडर पृथक्करण की आवश्यकता थी, मौजूदा और संभावित कृषि उपभोक्ताओं की कुल संख्या, खेती योग्य भूमि का कुल क्षेत्रफल और स्थान, जलग्रहण क्षेत्र जहां से उपभोक्ता सिंचाई के लिए पानी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे विवरणों पर विचार किए बिना डीपीआर तैयार किया। एसएलएससी ने भी इन आवश्यकताओं को सत्यापित किये बिना ही डीपीआर को अनुमोदन के लिए आरईसी को अग्रोषित कर दिया। इसके अलावा, मिश्रित भार वाले किसी भी मौजूदा फीडरों की पहचान या उन्हें पृथक्कीकृत नहीं की गई थी। कृषि फीडरों का निर्माण या तो नवनिर्मित पीएसएस में किया गया था या मौजूदा पीएसएस में नए फीडर का निर्माण किया गया था।

### 4.2 फीडर पृथक्करण की स्थिति

मार्च 2020 तक कृषि फीडरों/लाईन्स के निर्माण लक्ष्य की तुलना में वास्तविक उपलब्धि की स्थिति तालिका 4.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.1: कृषि फीडर/लाईन्स निर्माण का लक्ष्य एवं उपलब्धि

जिला	फीडर निर्मित होने की संख्या	निर्मित फीडरों की संख्या	कृषि लाइन्स निर्माण करना था (सर्किट किमी <sup>74</sup> )	निर्मित कृषि लाइन्स (सर्किट किमी) (प्रतिशत)
धनबाद	15	13 (87)	450.00	425.74 (95)
देवघर	21	14 (67)	669.00	619.00 (93)
पाकुड़	2	0 (0)	31.55	0 (0)

<sup>74</sup> सर्किट किलोमीटर

जिला	फीडर निर्मित होने की संख्या	निर्मित फीडरों की संख्या	कृषि लाइन्स निर्माण करना था (सर्किट किमी <sup>74</sup> )	निर्मित कृषि लाइन्स (सर्किट किमी) (प्रतिशत)
पलामू	3	0 (0)	37.75	0 (0)
गिरिडीह	5	4 (80)	122.98	91.38 (74)
दुमका	4	3 (75)	18.90	49.20 (260)
राँची	13	13 (100)	795.97	795.97 (100)
<b>कुल</b>	<b>63</b>	<b>47</b>	<b>2126.15</b>	<b>1981.29</b>

स्रोत: जेबीवीएनएल के द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से संकलित

तालिका 4.1 से देखा जा सकता है कि दो जिलों में कोई कार्य नहीं हुआ। यह पाकुड़ में टीकेसी द्वारा कार्य निष्पादन न करने एवं अंततः अनुबंध की समाप्ति तथा पलामू में कार्य धीमा होने के कारण हुआ। इसके अलावा, अन्य पांच जिलों में दिए गए लक्ष्य के विरुद्ध निर्धारित तिथि से चार से नौ महीने बीत जाने के बाद भी केवल 47 फीडर (81 प्रतिशत) और 1,981 सर्किट किमी लाइन (96 प्रतिशत) को ही पूरा किया जा सका।

आगे यह पाया गया कि पृथक कृषि फीडर का निर्माण, मौजूदा कृषि उपभोक्ता एवं संभावित कृषि उपभोक्ता, लोड की जरूरत एवं विशिष्ट क्षेत्र में सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धता का सर्वेक्षण किये बिना किया गया।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि टीएमकेपीवाई एक राज्य योजना जो कृषि पंपों के द्वारा निःशुल्क विद्युत-संबंध प्रदान करने के लिए बनी थी उसे सिंचाई के लिए नदियों या नहरों में पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण संभावित उपभोक्ताओं से मांग की कमी के कारण बंद (अक्टूबर 2018) करना पड़ा।

आगे, कृषि विद्युत-संबंध हेतु 2,966 डीटीआर<sup>75</sup> और 1,840.71 सर्किट किमी<sup>76</sup> लाइन्स का भी निर्माण (नवम्बर 2018 से जून 2020) ₹ 90.61 करोड़<sup>77</sup> में किया। यद्यपि, 16,406 मौजूदा कृषि उपभोक्ता<sup>78</sup> को मौजूदा फीडरों से पृथक कृषि फीडरों पर स्थानांतरित नहीं किया गया और उसका कारण अभिलेख में नहीं पाया गया। इस प्रकार, पृथक फीडरों एवं इससे संबंधित बुनियादी ढांचे जुलाई 2020 तक निर्माण के एक से 20 महीने बाद भी उपयोग में नहीं लाया गया फलस्वरूप ₹ 90.61 करोड़ की संपत्ति बेकार पड़ी है।

- राँची जिला के चान्हो ब्लाक में तीन कृषि फीडरों का निर्माण (जुलाई 2019) हुआ, जिसमें 25 केवीए के 675 डीटीआर लगे थे और जो दो पीएसएस से

<sup>75</sup> राँची (1803), धनबाद (612) और देवघर (551)

<sup>76</sup> राँची, धनबाद और देवघर

<sup>77</sup> 2966 x ₹ 81332 (डीटीआरएस की औसत लागत) + 1840.71 x ₹ 3,61,189 (कृषि लाइन की औसत लागत) = ₹ 90.61 करोड़

<sup>78</sup> अप्रैल 2019 के राजस्व विवरण-1 के अनुसार सिंचाई और कृषि सेवा (आईएसएस) टैरिफ के तहत धनबाद (239), देवघर (3563) और राँची (12604)।

जुड़ा था (एक नया और एक अपग्रेडेड), जिसमें 1174 कृषि उपभोक्ता सक्रिय थे। यद्यपि, जुलाई 2020 तक 11 महीने बाद भी मौजूदा कृषि उपभोक्ताओं को कृषि फीडर पर स्थानांतरित नहीं किया जा सका।

प्रबंधन/विभाग ने फीडरों के निर्माण, लाइनों और कृषि फीडरों पर मौजूदा कृषि उपभोक्ताओं के गैर-संबंध के संबंध में लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए (मई/अक्टूबर 2021) में कहा कि फीडर और लाइनें अब लगा दिया गया है और नए स्कीम<sup>79</sup> के तहत 2,295 नए कृषि विद्युत-संबंध चिह्नित जिलों में लगाये गए हैं साथ ही क्षेत्रीय कार्यालयों में नई योजना के तहत उपलब्ध कराये गये मौजूदा कृषि विद्युत-संबंधों को नये बने कृषि फीडरों में स्थानांतरित करने के निर्देश दिये गये हैं।

यद्यपि, मौजूदा उपभोक्ताओं एवं संभावी उपभोक्ताओं के सर्वेक्षण के बिना, लोड की आवश्यकता, विशिष्ट क्षेत्र में सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धता को ध्यान में रखे बिना ही डीपीआर तैयार करने के विषय पर मौन रहा। अतः जेबीवीएनएल का वास्तविक आवश्यकता का आकलन किये बिना निर्माण गतिविधियों पर ध्यान था।

जेबीवीएनएल को फीडर, ट्रांसमिशन लाइन और डीटीआर के निर्माण के पूरा होने के बावजूद मौजूदा कृषि उपभोक्ताओं को अलग कृषि फीडरों में स्थानांतरित करने में उनकी विफलता की जांच करनी चाहिए और जिम्मेदारी तय करनी चाहिए।

**सारांश में,** यद्यपि 47 फीडर और 1,981.29 किमी कृषि विद्युत लाइनों को कृषि फीडरों के पृथक्करण के एक भाग के रूप में बनाया गया था, इनमें से कोई भी चार्ज नहीं किया गया। इनमें से 40 फीडर और 1840.71 सर्किट किमी कृषि लाइनों को कृषि विद्युत-संबंध के लिए ₹ 90.61 करोड़<sup>80</sup> की लागत से देवघर, धनबाद और राँची जिलों में 2966 डीटीआर की स्थापना के बाद भी उपयोग में नहीं लाया गया, हालांकि इन जिलों में 16,406 कृषि उपभोक्ता पहले से मौजूद थे।

<sup>79</sup> टीएमकेपीवाई योजना को पुराने टीएमकेपीवाई से ₹ 98.62 करोड़ बचाकर फिर से शुरू किया गया था (जुलाई 2019) जिसे अक्टूबर 2018 में बंद कर दिया गया और एलओआई (अक्टूबर 2019 से जुलाई 2020) जारी किया गया

<sup>80</sup> 2966 x ₹ 81332 (डीटीआरएस की औसत लागत) + 1840.71 x ₹ 3,61,189 (कृषि लाइन की औसत लागत) = ₹ 90.61 करोड़

